NOTE FOR PAD

Starred Assembly Question No. 18 listed on 25.08.2023

Proper Maintenance of Cremation Ghat

Basic facilities are being provided in all Shamshan Ghats & Kabristans situated across the state of Haryana under **Shivdham Navikaran Yojana**. The Scheme Shivdham Navikaran Yojana is being implemented under following CM Announcements to provide the four types of facilities;

1. Construction of Boundary Walls (CM Announcement code 20802)
2. Construction of Sheds (CM Announcement code 20803)
3. To provide Drinking Water Facility (CM Announcement code 20804)
4. Approach Rastas (CM Announcement code 20805)

In the context of Starred Assembly Question no.18 (listed on 25.08.2023), reply has been sought from Chief Executive Officer, Zila Parishad, Jhajjar vide this office memo no.AA4/2023/91114-115 dated 16.08.2023. The contents of reply in Hindi & English are as under :-

देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

(क) इस बारे व्यक्त किया जाता है कि गाँव परनाला में बहादुरगढ़ बस स्टैण्ड को जाने वाली सड़क लगते शमशान घाट का शैड पुराना हो गया था जिसको बदलने की आवश्यकता थी इसको पंचायत ने 15 दिन पहले ही अपने स्तर पर बदलावाकर एक नया एम0एस0 शैड लगा दिया गया है।

(ख) इस बारे व्यक्त किया जाता है कि इस शमशान घाट में चारदीवारी, शमशान घाट का रास्ता तथा पानी की व्यवस्था पहले से है। ग्राम पंचायत एक नया शैड बनवाना चाहती है। जिसके लिए एक नया शैड बनाने तथा पहले से बनी हुई चारदीवारी पर पलास्टर एव रंग–रोगन का प्राकलन जिसकी अनुमानित लागत 4.11 लाख रूपये है, की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.08.2023 को जारी की जा चुकी है। इस कार्य के लिए जल्द ही टेण्डर प्रकिया अमल में लाकर उक्त कार्य को करवा दिया जायेगा।

यहा यह भी व्यक्त किया जाता है कि शिव धाम की साफ सफाई एवं रख–रखाव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ग्राम पंचायत निधि से किया जा रहा है।

DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT & PANCHAYATS MINISTER

a) It is stated that in village Parnala there was an old shed in the shamshan ghat near the road going to the Bahadurgarh Bus Stand, which is needed to replace and Gram Panchayat Parnala replaced the old shed by a new M.S. Shed 15 days ago.

b) It is stated that boundary wall, approach rasta to shamshan, shed and water facility already exist in Shiv Dham. Gram Panchayat has desired to construct one more shed. So, Administrative Approval amounting to Rs. 4.11 lakh has been accorded on 22.08.2023 for construction of an additional shed and for plastering & white washing of the existing boundary wall. Soon the above said work will be executed through the tender process. It is stated that the work of cleanliness and maintenance of Shiv Dham is being executed by Gram Panchayats out of their own funds.

Decisions/ Guidelines issued from time to time :-

1. In a meeting through video conferencing dated 20.04.2018 chaired by Hon'ble Chief Minister, all the Deputy Commissioners were directed that :-
   (i) *DCs shall endeavour to construct Shamshan Ghats/Kabristan by having people's participation in atleast 50% of the projects. People participation could be ensured through public contributions in cash or kind, Corporate Social Responsibility (CSR) through the Gram Panchayat's funding or any other innovative method for these projects.*
   (ii) *Estimates sent by DCs needs to be re-visited. DCs shall identify resources under D-Plan, Panchayat Funds and from the existing schemes, such as MGNREGA being implemented by the Rural Development Department.*
   (iii) *Rural Development Department was also directed to examine, if they can cover the construction of Shamshan Ghat/Kabristan in the villages under their existing schemes.*

   Accordingly, guidelines were issued to all the DCs on 27.04.2018 and minutes of meeting (held on 20.04.2018) issued vide Principal Secretary to Govt. of Haryana, Monitoring and Coordination Cell memo no.-3/3/2018-MC dated 06.06.2018, were also circulated amongst all concerned vide letter no.- PRC/18/4789-4851 dated-21.06.2018.
2. Thereafter, instructions were issued vide Principal Secretary To Govt. of Haryana, Development & Panchayats Department office memo no. 47606- 615 dated 17.07.2019 and again vide office memo no.- PRC/2020/422 dated 29.01.2020 for handing over of completed works to Chief Executive Officer, Zila Parishad for future maintenance/upkeep.

3. Instructions were issued on 20.07.2020 to all Deputy Commissioners for completion of remaining works and to send the estimates of remaining works to headquarter, after exploring all possibilities at district level.
4. A video conference was held on 04.01.2021 with the Deputy Commissioners (Ambala, Bhiwani, Charkhi Dadri, Hisar, Karnal, Kurukshetra, Narnaul, Panchkula, Rewari, Sonipat & Yamuna Nagar) under the joint chairmanship of PSDP & PS Mines and Geology Department, to utilize District Mineral Funds (available with Mines & Geology Department, Haryana) for completion of works under Shivdham Navikaran Yojana and instructions in this regard were issued vide office memo no.- PRC/2021/631-693 dated 14.01.2021 to release the District Mineral Funds available with them for completion of works under Shivdham Navikaran Yojana on 1st priority (keeping in view the Rule No. 18 – "Utilization of funds" & Rule No. 21 "Identification of affected areas and people" of the District Mineral Fund Rules, Department of Mines & Geology, Haryana). A copy of funds sanctioned & released be sent to HQ also.
5. Hon'ble Deputy CM has desired that a consolidated proposal may be put up showing how many panchayats can create these assets with their own funds and how many panchayats will need funds and for which of the four components. In this regards, information was sought from field offices vide memo no. PRC/2021/8949-920 dt. 19.01.2021. Reminder issued vide no. 1214-81 dt. 27.01.2021 and no. 1553-84 dt. 01.02.2021 & 2314-43 dt. 17.02.2021. Reports for 13 districts (Ambala, Kurukshetra, Panchkula, Kaithal, Karnal, Panipat, Charkhi Dadri, SIrsa, Mohindergarh, Gurugram, Faridabad, Palwal & Rewari) has been received, but report of 8 districts (Yamuna Nagar, Rohtak, Sonipat, Jhajjar, Bhiwani, Hisar, Jind, Fatehabad & Mewat) not received.
6. A meeting was held under the Chairmanship of Hon'ble CM on dt. 08.04.2021 to review Shivdham Navikaran Yojana and it was decided that :-
   (a) Deputy Commissioners should utilize funds from the Corporate Social Responsibility (CSR), District Plan, PRI own funds and contribution from the Individuals for construction of Shivdhams. Funds from the District Mineral Funds should also be used for completing the remaining works of Shivdhams.
   (b) The districts will arrange funds at their own level upto Rs. 5 crore per District and where the requirement is more than Rs. 5 crores, 50% funds beyond the requirement of Rs. 5 crores will be provided from the State Budget and remaining funds will be arranged by the Districts.
7. Hon'ble CM has hold a meeting on dt. 19.05.2021 in respect of Shivdham Navikaran Yojana, wherein it has been decided that only the works pertaining to construction of Boundary walls with Gate (CM Announcement Code 20802), construction of Sheds (CM Announcement Code 20803) and construction of Streets/Rastas (CM Announcement Code 20805) in shamshan ghats/kabristans be taken up in future and works pertaining to Drinking Water facility be dropped under Shivdham Navikaran Yojana. Accordingly,

instructions have issued to all Deputy Commissioners and all concerned vide no. 6499-6618 dt. 24.05.2021.

8. A review meeting regarding completion of Shivdham Projects was held on 09.05.2023 at 11.30 AM under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Haryana. Hon'ble Development & Panchayats Minister, PS to CM, Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana, Development & Panchayats Department and Superintending Engineer (PR) were present. It was decided that all Shiv Dham related works shall be completed at the earliest in 22 districts.

   It was also decided that at district level, if the funds seem insufficient in CSR, district plan on PRI's own funds, then for completing remaining Shiv Dham related works, estimates be framed & send the HRDF Board for providing Administrative Approval & sanctioning of funds. In this regards, directions were issued to all Deputy Commissioners and concerned to ensure the completion of all Shiv Dham related works, their updation on Shivdham Web Portal and for those Shivdham works for which funds cannot be arranged at district level, estimates be framed & send the HRDF Board for providing Administrative Approval & sanctioning of funds vide this department memo no.PRC/2023/12611-42 dated 02.06.2023 **(Annexure "1")**.

Status of Funds :-

Administrative Approval accorded/Funds released from HQ :- As per details received from MD HRDF Board vide his memo no. CFMS-10572 dt. 31.05.2021 funds of Rs. 84.22 crore have been sanctioned & Rs. 84.17 crore released by Development & Panchayats Department under budgetary scheme for Shivdham Navikaran Yojna works.

Amount : Rs. In lacs

District	**Haryana Gramin Vikas Yojana (HGVY)**						**Special Development Works Scheme (SDS)**			**Total**	
	(A) Lump sum funds per constituency			**(B) Funds released as per estimate of each work**							
	No. of Constituency	**Amt. Sanct.**	**Amt. Rel.**	**No. of Works**	**Amt. Sanct.**	**Amt. Rel.**	**No. of Works**	**Amt. Sanct.**	**Amt. Rel.**	**Amt. Sanct.**	**Amt. Rel.**
Ambala	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
Bhiwani	6	180.00	180.00	0	0.00	0.00				180.00	180.00
Faridabad	4	120.00	120.00	57	322.15	322.15				442.15	442.15
Fatehabad	3	90.00	90.00	274	757.89	757.89				847.89	847.89
Gurugram	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
Hissar	5	150.00	150.00	183	698.05	698.05				848.05	848.05
Jhajjar	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
Jind	6	180.00	180.00	62	234.00	234.00				414.00	414.00
Kaithal	4	120.00	120.00	221	477.82	477.82				597.82	597.82
Karnal	5	1300.00	1300.00	0	0.00	0.00				1300.00	1300.00
K/Shetra	4	120.00	120.00	26	129.78	129.78				249.78	249.78
Mewat	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
M/Garh	4	120.00	120.00	48	323.79	323.79				443.79	443.79
Palwal	1	30.00	30.00	91	442.92	442.92	60	279.54	279.54	752.46	752.46
Panchkula	2	60.00	60.00	26	176.15	171.15				236.15	231.15
Panipat	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
Rewari	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
Rohtak	3	90.00	90.00	60	208.70	208.70				298.70	298.70
Sirsa	5	150.00	150.00	0	0.00	0.00				150.00	150.00
Sonipat	5	150.00	150.00	0	0.00	0.00				150.00	150.00
Y/Nagar	4	120.00	120.00	182	762.06	762.06				882.06	882.06
Total	**82**	**3610.00**	**3610.00**	**1230**	**4533.31**	**4528.31**	**60**	**279.54**	**279.54**	**8422.85**	**8417.85**

As detailed above, Rs. 36.10 crore were released for 82 Assembly Constituencies on lump sum basis (i.e. untied funds). Besides, Rs. 48.13 crore (Rs. 45.33 crore + Rs. 2.80 crore) were released for 1290 (1230 + 60) works, against workwise estimates (i.e. Tied funds). Besides, funds from headquarter, funds are being utilized at district level also under CSR, PRI funds, District Mineral funds also.

Status of Works :-

4007-27 dt23.05.18**(J)**
4609-30 dt. 14.06.18**(K)**
7310-35 dt.29.08.18 **(L)**
7812-38 dt. 17.09.18**(M)**
8656-57 dt. 17.10.18**(N)**
9303-09 dt. 13.11.18**(O)**
10071-97 dt10.12.18**(P)**
4446-70 dt. 22.05.19**(Q)**
4499-4523 dt24.5.19**(R)**
10156-58 dt11.12.19**(S)**
422-429 dt. 29.01.20 **(T)**
4160-4277 dt. 20. 7.20**(U)**
4462-4483 dt. 24.7.20**(V)**
6597-6715 dt. 04.9.20**(W)**
7675-96 dt. 08.10.20**(X)**
10859-80 dt. 24.12.20**(Y)**
631-73 dt. 14.01.21 **(Z)**
4695-4788 dt.22.4.21 **(A1)**
6499-6618 dt.24.5.21**(B1)**
9458-79 dt. 31.05.22 **(C1)**
12307-28 dt. 30.06.22**(D1)**
19025-32 dt. 07.10.22**(E1)**
7904-06 dt. 02.03.23**(F1)**
8526-8676 dt.

Vide correspondence given in margin, directions were issued to all the Deputy Commissioners from time to time to get the works completed within the given time frame and to update the status on the portal.

As per survey conducted regarding total Shamshang Ghats, Kabristans and Gap in infrastructure facilities, 6692 (4916+1776) Boundary walls of Shamshan Ghats and Kabristans, 5653 (4433+1220) Rastas of Shamshan Ghats & Kabristans, 6886 Sheds of Shamshan Ghats and 9989 (7755+2234) drinking water facilities (now works pertaining to drinking water facilities has been dropped from Shivdham Navikaran Yojana after issued instructions vide letter no. PRC/21/6499-6618 dated 24.05.2021) in Shamshan Ghats and Kabristans i.e. total 29220 works were to be completed in Shamshan Ghats and Kabristans of the state, situated in rural areas. Status of works under this yojana are to be uploaded on portal.

As per report of portal as on date 20.08.2023, status is as under :-

(**Amount: Rs. in lakh**)

Sr.No	District	Expenditure till date	Total No of Works completed till date	Boundary Wall	Shed	Drinking Water Facility	Approach Rasta
1	AMBALA	711.51	447	70	73	257	47
2	BHIWANI	8467.04	1180	247	402	242	289
3	CHARKI DADRI	1554.19	566	140	146	132	148
4	FARIDABAD	159.59	109	24	54	12	19
5	FATEHABAD	1777.88	856	209	272	158	217
6	GURUGRAM	648.28	149	70	57	0	22
7	HISAR	1716.89	727	150	192	222	163
8	JHAJJAR	527.68	119	40	40	5	34
9	JIND	760.67	239	113	66	11	49
10	KAITHAL	2108.46	1154	262	283	360	249
11	KARNAL	1385.45	634	147	128	217	142
12	KURUKSHETRA	4903.18	2780	710	694	689	687
13	MAHENDRAGARH	530.15	158	44	75	13	26
14	MEWAT	798.89	414	50	130	203	31
15	PALWAL	103.20	32	13	18	1	0
16	PANCHKULA	175.53	96	21	52	2	21
17	PANIPAT	513.81	119	41	40	26	12
18	REWARI	1539.48	948	113	379	301	155
19	ROHTAK	328.05	122	47	34	20	21
20	SIRSA	646.85	192	55	62	23	52
21	SONIPAT	1732.03	920	234	285	232	169
22	YAMUNANAGAR	2873.28	1997	351	617	558	471
Total		**33962.09**	**13958**	**3151**	**4099**	**3684**	**3024**

A google-sheet has been circulated also amongst the field offices to update the status regarding the submission of estimates under Shivdham Navikaran Yojana and the latest status is as under :-

Amount (Rs. in lakh)							
Status	**Components Required (1. Boundary wall) (2. Sheds) (3.(Drinking water facilities) (4.Approach Rasta)**	**Details of estimates submitted to CEO ZP**		**Details of Estimates submitted to HQ (i.e. o/o HRDF)**		**Details of remaining estimates, if any**	
		No. of estimates	**Amount**	**No. of estimates**	**Amount**	**No. of estimates**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**
In the state of Haryana (22 districts)	For Shivdhams where required all 4 components	179	3275.27848	129	3114.49	70	
	For Shivdhams where required all 3 components required	358	4590.83541	258	4180.36	176	
	For Shivdhams where required all 2 components required	665	6026.69537	312	3579.47	286	
	For Shivdhams where required all 1 component required	805	5320.33759	299	2253.73	407	
	Total	**2007**	**19213.1469**	**998**	**13128.05**	**939**	

नोट फॉर पैड

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 दिनांक 25.08.2023 को सूचीबद्ध शमशान घाट का उचित रखरखाव

शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा राज्य में स्थित सभी शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शिवधाम नवीनीकरण योजना निम्नलिखित मुख्यमंत्री घोषणाओं के अन्तर्गत चार प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु लागू की जा रही है :—

1. चारदीवारी का निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20802)
2. शेड का निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20803)
3. पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20804)
4. पहुंच रास्ता (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20805)

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या नं0 18 (दिनांक 25.08.2023 को सूचीबद्ध) के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झज्जर से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक AA4/2023/91114-115 दिनांक 16.08.2023 द्वारा जवाब मांगा गया था। हिन्दी तथा अंग्रेजी के उत्तर का विवरण निम्न है :—

देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

(क) इस बारे व्यक्त किया जाता है कि गाँव परनाला में बहादुरगढ़ बस स्टैण्ड को जाने वाली सड़क के साथ लगते शमशान घाट का शैड पुराना हो गया था जिसको बदलने की आवश्यकता थी इसको पंचायत ने 15 दिन पहले ही अपने स्तर पर बदलावाकर एक नया एम0एस0 शैड लगा दिया गया है।

(ख) इस बारे व्यक्त किया जाता है कि इस शमशान घाट में चारदीवारी, शमशान घाट का रास्ता तथा पानी की व्यवस्था पहले से है। ग्राम पंचायत एक नया शैड बनवाना चाहती है। जिसके लिए एक नया शैड बनाने तथा पहले से बनी हुई चारदीवारी पर पलास्टर एव रंग—रोगन का प्राकलन जिसकी अनुमानित लागत 4.11 लाख रूपये है, की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.08.2023 को जारी की जा चुकी है। इस कार्य के लिए जल्द ही टेण्डर प्रकिया अमल में लाकर उक्त कार्य को करवा दिया जायेगा।

यहा यह भी व्यक्त किया जाता है कि शिव धाम की साफ सफाई एवं रख–रखाव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ग्राम पंचायत निधि से किया जा रहा है।

DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT & PANCHAYATS MINISTER

c) It is stated that in village Parnala there was an old shed in the shamshan ghat near the road going to the Bahadurgarh Bus Stand, which is needed to replace and Gram Panchayat Parnala replaced the old shed by a new M.S. Shed 15 days ago.

d) It is stated that boundary wall, approach rasta to shamshan, shed and water facility already exist in Shiv Dham. Gram Panchayat has desired to construct one more shed. So, Administrative Approval amounting to Rs. 4.11 lakh has been accorded on 22.08.2023 for construction of an additional shed and for plastering & white washing of the existing boundary wall. Soon the above said work will be executed through the tender process. It is stated that the work of cleanliness and maintenance of Shiv Dham is being executed by Gram Panchayats out of their own funds.

निर्णय/समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देश

1. दिनांक 20.04.2018 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, सभी उपायुक्तो को निर्देश दिए गए कि :–

(क) सभी उपायुक्त शमशान घाट/कब्रिस्तान के निर्माण में कम से कम 50% जन–भागिदारी का प्रयास करेंगे।

(ख) उपायुक्तों द्वारा भेजे गए प्राकलनों दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। उपायुक्त डी–प्लान, पंचायत निधि तथा मौजदा योजनाओं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. जैसी मौजूदा योजनाओं के तहत संसाधनों की पहचान करेंगे।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग को यह भी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था कि क्या वे अपनी मौजूदा योजना के तहत गांवों में शामशान घाट/कब्रिस्तान के निर्माण को शामिल कर करते हैं।

तदानुसार, सभी उपायुक्तों को दिनांक 27.04.2018 को निशा–निर्देश जारी किए गए तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, मोनिटरिंग कॉर्डिनेशन सैल के पत्र क्रमांक 3/3/2018-MC दिनांक 06.06.2018 द्वारा बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 20.04.2018 को हुई) जारी किए गए, जोकि पत्र क्रमांक पी0आर0सी0/18/4789–4851 दिनांक द्वारा सम्बन्धित को जारी कर दिए गए।

2. तदोपरान्त, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पत्र क्रमांक 47606–615 दिनांक 17.07.2019 तथा पुनः पत्र क्रमांक पी0आर0सी0/2020/422 दिनांक 29.01.2020 द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों की भविष्य में देखरेख/मुरम्मत हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को सौंपने हेतू निर्देश जारी किए गए।

3. दिनांक 20.07.20220 को सभी उपायुक्तों को शेष कार्यों को पूर्ण करने बारे निर्देश दिए गए तथा शेष कार्यों के प्राकलन जिला स्तर पर सभी सम्भावनाओं की तलाश करने के बाद मुख्यालय पर भिजवाए जाएं।

4. दिनांक 04.01.2021 को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खान एवं भू–विज्ञान विभाग की संयुक्त अध्यक्षता में उपायुक्त (अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पंचकूला, रेवड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर) के साथ शिवधाम नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यों को जिला खनिज निधि (District Mineral Funds) से पूर्ण करवाने बारे वीडिया कोन्फ्रेंस हुई तथा इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र क्रमांक पी0आर0सी0/2021/631–693 दिनांक 14.01.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए कि शिवधाम नवीनीकरण योजना के कार्यों को प्रथम प्राथमिता पर पूर्ण करवाने हेतु उनके पास उपलब्ध जिला खनिज निधि (District Mineral Funds) को जारी किया जाए (खान एवं भू–विज्ञान विभाग के नियम नं0 18 "Utilization of funds" – तथा नियम नं 21 "Identification of affected areas and people" को ध्यान में रखा जाए)। स्वीकृति तथा जारी की गए राशि की प्रति मुख्यालय को भी भेजी जाए।

5. माननीय उप–मुख्यमंत्री द्वारा चाहा गया है कि एक संकलित प्रस्ताव रखा जाए जिसमें यह दर्शाया जाए कि चारों घटकों के लिए कितनी पंचायतें अपनी निधि से इन परिसम्पत्तियों को निर्माण कर सकती हैं और कितनी पंचायतों को राशि की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में, क्षेत्रीय कार्यों से पत्र क्रमांक पी0आर0सी/2021/8949–920 दिनांक 19.01.2021 द्वारा सूचना मांगी गई थी। स्मरण पत्र क्रमांक 1214–18 दिनांक 27.01.2021 तथा क्रमांक 1553–84 दिनांक 01.02.2021 तथा 2314–43 दिनांक 17.02.2021 द्वारा जारी किए गए। 13 जिलों (अम्बाला, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, कैथल, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, सिरसा, महेन्द्रगढ़, ग्ररूग्राम, फरीदाबाद पलवल तथा रेवाड़) से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, परन्तु 8 जिलों (यमुना नगर, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार, जीन्द, फतेहाबाद तथा मेवात) से प्राप्त नहीं हुई।

6. दिनांक 08.04.2021 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिवधाम नवीनीकरण योजना की समीक्षा हेतु बैठक हुई तथा निर्णय लिया गया कि :–

   (क) उपायुक्तों को शिवधामों के निर्माण के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility), जिला योजना (District Plan), पी.आर.आई के स्वयं की निधि तथा वैयक्तिक योगदान का उपयोग किया जाए। जिला खनिज निधि (District Mineral Funds) का प्रयोग भी शिवधामों के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जा सकता है।

   (ख) प्रत्येक जिले अपने स्तर पर 5 करोड़ रूपये तक की राशि की व्यवस्था करेंगे तथा जहां 5 करोड़ रूपये से अधिक की आवश्यकता है, वहां 50% से अधिक आवश्यक राशि राज्य बजट में से तथा शेष राशि की व्यवस्था जिलों द्वारा की जाएगी।

7. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 19.05.2021 को शिवधाम नवीनीकरण योजना के सम्बन्ध में एक बैठक रखी गई, जिसमें फैंसला लिया गया कि भविष्य में शमशान घाटों/कब्रिस्तानों में सिर्फ चारदीवारी गेट के साथ (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20802), शेड का निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20803) तथा गली/रास्ते निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20805) से सम्बन्धित कार्य करवाए जाएं

तथा पीने के पानी की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य शिवधाम नवीनीकरण योजना से हटा लिए गए। तदानुसार, सभी उपायुक्तों तथा सम्बन्धित को पत्र क्रमांक 6499—6618 दिनांक 24.05.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

8. दिनांक 09.05.2023 को सुबह 11:00 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में शिवधाम परियोजनाओं की समीक्षा हेतु एक बैठक की गई। माननीय मंत्री विकास एवं पंचायत विभाग, प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री), अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग तथा अधीक्षक अभियन्ता (पंचायती राज) उपस्थित थे। यह निर्णय लिया गया कि 22 जिलों में शिवधाम से सम्बन्धित सभी कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाए जाएं।

जिला स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया कि, यदि सी.एस.आर., जिला योजना में पी.आर.आई. की स्वयं की निधि में शिवधाम से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त राशि है, तो प्राकलन बनाकर प्रशासकीय स्वीकृति तथा राशि जारी करने हेतु एच.आर.डी.एफ. बोर्ड को भिजवाया जाऐं। इस सम्बन्ध में सभी उपायुक्तों तथा सम्बन्धित को शिवधाम से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए, उन्हें शिवधाम वेब पोर्टल पर अपडेट करें और जिन शिवधाम कार्यों के लिए जिला स्तर पर धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती उनके लिए अनुमान तैयार करके एच.आर.डी.एफ. बोर्ड को प्रशासकीय स्वीकृति व राशि जारी करने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक पी.आर.सी./2023/12611—42 दिनांक 02.06.2023 द्वारा निर्देश दिए गए।

राशि की स्थितिः

जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति/मुख्यालय से जारी राशि :— एच.आर.डी.एफ. बोर्ड के पत्र क्रमांक सी.एफ.एम.एस.—10572 दिनांक 31.05.2021 द्वारा प्राप्त विवरण अनुसार मु0 84.22 करोड़ रूपये स्वीकृत हो चुके हैं तथा विकास एवं पंचात विभाग द्वारा बजटरी स्कीम के अन्तर्गत शिवधाम नवीनीकरण योजना के कार्यों हेतु मु0 84.17 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं।

राशि : लाख रू0 में

जिला	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (HGVY)						स्पैशन डवैलपमेंट वर्कस स्कीम (SDS)			कुल	
	(क) प्रति निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमुश्त राशि			(क) प्राकलन अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु जारी राशि			कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी रशि
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि					
अम्बाला	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
भिवानी	6	180.00	180.00	0	0.00	0.00				180.00	180.00
फरीदाबाद	4	120.00	120.00	57	322.15	322.15				442.15	442.15
फतेहाबाद	3	90.00	90.00	274	757.89	757.89				847.89	847.89
गुरूग्राम	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
हिसार	5	150.00	150.00	183	698.05	698.05				848.05	848.05
झज्जी	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
जीन्द	6	180.00	180.00	62	234.00	234.00				414.00	414.00
कैथल	4	120.00	120.00	221	477.82	477.82				597.82	597.82
करनाल	5	1300.00	1300.00	0	0.00	0.00				1300.00	1300.00
कुरूक्षेत्र	4	120.00	120.00	26	129.78	129.78				249.78	249.78
मेवात	4	120.00	120.00	0	0.00	0.00				120.00	120.00
महेन्द्रग्रढ़	4	120.00	120.00	48	323.79	323.79				443.79	443.79

राशि : लाख रू0 में

जिला	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (HGVY)						स्पैशन डवैलपमेंट वर्कस स्कीम (SDS)			कुल	
	(क) प्रति निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमुश्त राशि			(क) प्राकलन अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु जारी राशि							
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी रशि
पलवल	1	30.00	30.00	91	442.92	442.92	60	279.54	279.54	752.46	752.46
पंचकूला	2	60.00	60.00	26	176.15	171.15				236.15	231.15
पानीपत	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
रेवाड़ी	3	90.00	90.00	0	0.00	0.00				90.00	90.00
रोहतक	3	90.00	90.00	60	208.70	208.70				298.70	298.70
सिरसा	5	150.00	150.00	0	0.00	0.00				150.00	150.00
सोनीपत	5	150.00	150.00	0	0.00	0.00				150.00	150.00
यमुना नगर	4	120.00	120.00	182	762.06	762.06				882.06	882.06
कुल	**82**	**3610.00**	**3610.00**	**1230**	**4533.31**	**4528.31**	**60**	**279.54**	**279.54**	**8422.85**	**8417.85**

उपरोक्त विवरण अनुसार, मु0 36.10 करोड़ रू0 82 विधानसभा क्षेत्रों हेतु एकमुश्त आधार पर जारी किए गए (यानि अनटाईड फण्ड)। इसके अलावा, कार्यवार प्राकलनों (यानि टाईड फण्ड) हेतु मु0 48.13 करोड़ रू0 (मु0 45.33 करोड + मु0 2.80 करोड़) 1290 (1230 + 60) कार्यों हेतु जारी किए गए। इसके अलावा, मुख्यालय से मिलने वाली राशि के अलावा जिला स्तर पर भी सी.एस.आर., पी.आर.आई. निधि, जिला खिनिज निधि के तहत राशि का उपयोग किया जा रहा है।

राशि की स्थितिः

4007-27 dt23.05.18**(J)**
4609-30 dt. 14.06.18**(K)**
7310-35 dt.29.08.18 **(L)**
7812-38 dt. 17.09.18**(M)**
8656-57 dt. 17.10.18**(N)**
9303-09 dt. 13.11.18**(O)**
10071-97 dt10.12.18**(P)**
4446-70 dt. 22.05.19**(Q)**
4499-4523 dt24.5.19**(R)**
10156-58 dt11.12.19**(S)**
422-429 dt. 29.01.20 **(T)**
4160-4277 dt. 20. 7.20**(U)**
4462-4483 dt. 24.7.20**(V)**
6597-6715 dt. 04.9.20**(W)**
7675-96 dt. 08.10.20**(X)**
10859-80 dt. 24.12.20**(Y)**
631-73 dt. 14.01.21 **(Z)**
4695-4788 dt.22.4.21 **(A1)**
6499-6618 dt.24.5.21**(B1)**
9458-79 dt. 31.05.22 **(C1)**
12307-28 dt. 30.06.22**(D1)**
19025-32 dt. 07.10.22**(E1)**
7904-06 dt. 02.03.23**(F1)**
8526-8676 dt.

मार्जिन में दिए गए पत्राचार के माध्यम से सभी उपायुक्तों को समय–समय पर कार्यों को निर्धारित समय सीमा में के अंदर पूर्ण करने और पोर्टल पर स्थिति आपडेट करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

कुल शमशानघाटों, कब्रिस्तानों तथा बुनियादी सुविधाओं हेतु किए गए सर्वेक्षण अनुसार, 6692 (4916+1776) शमशान घाटों व कब्रिस्तानों की चादीवारी, 5653 (4433+1220) शामशान घाटों तथा कब्रिस्तानों के रास्ते, 6886 शमशान घाटों के शेड तथा 9989 (4433+2234) पीने के पानी की सुविधाएं (अब पत्र क्रमांक पी.आर.सी. / 21 / 6499–6618 दिनांक 24.05.2021 द्वारा जारी निर्देशों के बाद शिवधान नवीनीकरण योजना से पेयजल सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों को हटा दिया गया है) यानि कुल 29220 शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों में कार्य पूर्ण किया जाना था। इन योजना के तहत कार्यों की स्थिति पोर्टल पर अपलोड की जानी है।

पोर्टल दिनांक 20.08.2023 तक की रिपोर्ट अनुसार, स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि : लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जिला	आज तक किया गया खर्च	आज तक पूर्ण कार्य	चारदीवारी	शेड	पीने के पानी की सुविधा	पहुंच रास्ता
1	अम्बाला	711.51	447	70	73	257	47
2	भिवानी	8467.04	1180	247	402	242	289
3	चरखी दादरी	1554.19	566	140	146	132	148
4	फरीदाबाद	159.59	109	24	54	12	19
5	फतेहाबाद	1777.88	856	209	272	158	217

क्र0 सं0	जिला	आज तक किया गया खर्च	आज तक पूर्ण कार्य	चारदीवारी	शेड	पीने के पानी की सुविधा	पहुंच रास्ता
6	गुरूग्राम	648.28	149	70	57	0	22
7	हिसार	1716.89	727	150	192	222	163
8	झज्जर	527.68	119	40	40	5	34
9	जीन्द	760.67	239	113	66	11	49
10	कैथल	2108.46	1154	262	283	360	249
11	करनाल	1385.45	634	147	128	217	142
12	कुरूक्षेत्र	4903.18	2780	710	694	689	687
13	महेन्द्रग्रढ़	530.15	158	44	75	13	26
14	मेवात	798.89	414	50	130	203	31
15	पलवल	103.20	32	13	18	1	0
16	पंचकूला	175.53	96	21	52	2	21
17	पानीपत	513.81	119	41	40	26	12
18	रेवाड़ी	1539.48	948	113	379	301	155
19	रोहतक	328.05	122	47	34	20	21
20	सिरसा	646.85	192	55	62	23	52
21	सोनीपत	1732.03	920	234	285	232	169
22	यमुनानगर	2873.28	1997	351	617	558	471
कुल		**33962.09**	**13958**	**3151**	**4099**	**3684**	**3024**

शिवधाम नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत जमा प्राकलनों की स्थिति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में एक google-sheet भिजवाई गई है तथा नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है :—

(राशि : लाख रू0 में)							
स्थिति	आवश्यक घटक (1. चारदीवारी) (2. शेड) (3. पीने के पानी की सुविधाएं) (4. पहुंच रास्ता)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत प्राकलनों का विवरण		मुख्यालय पर जमा प्राकनों का विवरण (यानि कार्यालय एच. आर.डी.एफ.)		शेष प्राकलनों का विवरण, यदि कोई	
		प्राकलनों की संख्या	राशि	प्राकलनों की संख्या	राशि	प्राकलनों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	9
हरियाणा राज्य में (22 जिले)	शिवधामों के लिए जहां 4 घटकों की आवश्यकता है	179	3275.27848	129	3114.49	70	
	शिवधामों के लिए जहां 3 घटकों की आवश्यकता है	358	4590.83541	258	4180.36	176	
	शिवधामों के लिए जहां 2 घटकों की आवश्यकता है	665	6026.69537	312	3579.47	286	
	शिवधामों के लिए जहां 1 घटक की आवश्यकता है	805	5320.33759	299	2253.73	407	
	कुल	**2007**	**19213.1469**	**998**	**13128.05**	**939**	